



Ref. No.: F.4.9(179)/RISL/Tech/Misc/14/6750

Dated: 15-10-2014

प्रबन्धक, (All LSPs)
ई-मित्र परियोजना,
राजस्थान।

विषय :— कियोस्क को Deactive/Active किये जाने की प्रक्रिया।

जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में सभी कियोस्कों के सृजन का कार्य केन्द्रीकृत स्तर पर RISL/DoIT&C के स्तर पर किया जा रहा है एवं किसी परिस्थितिवश कियोस्कों को बंद करना हो तो उसके लिए एल.एस.पी. सम्बन्धित जिला ई-मित्र सोसायटी को बंद करने के कारण सहित ई-मेल भेजते हैं तथा जिला ई-मित्र सोसायटी अपने स्तर पर पूनः अपनी अनुशंसा सहित RISL/DoIT&C को कियोस्कों Deactive एवं पूर्व में Deactive कियोस्क को Active करने के लिए अनुशंसा भेजते हैं। अतः जिला ई-मित्र सोसायटी की अनुशंसा के आधार पर RISL/DoIT&C कियोस्क को Deactive/Active करती है।

उक्त प्रक्रिया में कई बार कियोस्क द्वारा गंभीर अनियमितताएँ जैसे कि समय पर राजस्व राशि का हस्तान्तरण नहीं करना, कियोस्क की आमजन से लगातार शिकायत प्राप्त होना, वित्तीय अनियमितता करना, OMT Tool Install नहीं करना एवं आमजन को ई-मित्र पर उपलब्ध सभी सेवाएँ प्रदान नहीं करना इत्यादी प्रकार की शिकायतों के कारण एल.एस.पी. के द्वारा जिला ई-मित्र सोसायटी को भेजी गई शिकायतों पर निर्णय एवं अपनी टिप्पणी सहित RISL/DoIT&C को भेजने में विलम्ब हो जाता है जिससे कियोस्क को तत्काल प्रभाव से बंद नहीं किया जाता है।

अतः उक्त सम्बन्ध में विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी कियोस्क के विरुद्ध उपरोक्त दर्शित शिकायतों के मध्यनजर यदि एल.एस.पी. किसी कियोस्क को बंद करवाना चाहता है तो वह आधिकारिक मेल आईडी के द्वारा (emitra.support@gmail.com, pm.emitra@utiitsl.com, rahulhemitra@gmail.com, rathoreprithviraj2009@gmail.com) कारण सहित ई-मेल भेजे एवं ई-मेल की एक प्रति सम्बन्धित जिला ई-मित्र सोसायटी को भेजते हुए आग्रह किया जा सकता है।

अतः कियोस्क का Deactive/Active का कार्य RISL/DoIT&C के द्वारा केन्द्रीकृत रूप से किया जावेगा।

(आर.के.शर्मा)
संयुक्त निदेशक

Ref. No.: F.4.9(211)/RISL/Tech/Misc/14/6750

Dated: 15-10-2014

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. अध्यक्ष एवं कलक्टर, जिला ई-मित्र सोसायटी, राजस्थान।

संयुक्त निदेशक